रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062024-254754 CG-DL-E-18062024-254754

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] No. 416] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

फा.सं. एसटीडी/एसपी-21/ए-1.2024/एन-01.—खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 में आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप –धारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्वारा प्रकाशित की जाती है और एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

यदि कोई आपत्ति या सूझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा <u>regulation@fssai.gov.in</u> पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

3563 GI/2024 (1)

प्रारूप विनियम

- इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2024 कहा जा सकता है।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में, तालिका 2 के अंतर्गत,

क. कॉलम सं. 7 में, 'एथिल एसीटेट के रूप में व्यक्त एस्टर (पूर्ण अल्कोहल का ग्रा/ली), अधिकतम' से संबंधित क्रमांक 7 के सामने, प्रविष्टि '0.2' के स्थान पर '3.0' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./185/2024-25]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. संख्या 2/एसए24/2009(1)/एफएसएसएआई, दिनांक 19 मार्च, 2018 के द्वारा प्रकाशित किया गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-4) दिनांक 21 अगस्त 2023 के माध्यम से अंतिम संशोधन किया गया था।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

F. No Std/SP-21/A-1.2024/N-01.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by subsection (1) of section 92 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002, or may be sent through e-mail at regulation@fssai.gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period so specified above, shall be considered by the Food Authority.

Draft regulations

- 1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2024.
- 2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, -In Table 2,
 - a. In column no. 7, against S.No. 7 relating to 'Esters expressed as ethyl acetate (g/l of absolute alcohol), Max', the entry '0.2' shall be substituted with '3.0'.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./185/2024-25]

Note: The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2/SA24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018 and last amended *vide* notification number F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-4) dated the 21st August, 2023.